भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

और

मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय

के मध्य

समझौता ज्ञापन (MoU) प्रारूप

जहाँ भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी, भारत/ C&CG, India) को भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (एस ए आई/ SAI) एवं मॉरीशस के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय को मॉरीशस का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (एस ए आई) कहा गया है, जिसे आगे व्यक्तिगत रूप में "पक्ष" एवं सामूहिक रूप में "पक्षों " के रूप में संदर्भित किया गया है,

दोनों पक्षों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्य पद्धतियों में सुधार एवं सूचना के आदान-प्रदान के उद्देश्य से वर्तमान मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा रखते हुए;

यह मानते हुए कि परस्पर हित के क्षेत्रों में साथ काम करने से लाभ प्राप्त होते हैं, दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परस्पर सहयोग को और विस्तार देने पर सहमत हुए हैं, और इस समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत किसी भी सहकारी गतिविधि को पक्षकार अपनी-अपनी संबंधित विधियों एवं नीतियों के अनुरूप संचालित करेंगे।

इस प्रकार निम्नलिखित समझौता किया गया है:

अनुच्छेद I

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना है ताकि उनके संबंधित संस्थानों की व्यावसायिक क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके और लोक वित्त की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणालियों में सुधार हो सके।

अनुच्छेद II

सहयोग के क्षेत्र एवं रूप

1. पक्षकारों के सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित होंगे:

   क. आवश्यकतानुसार मॉरीशस के राष्ट्रीय लेखाकार्यालय या भारत में प्रशिक्षण आयोजित करना;

   ख. पक्षकारों द्वारा अपेक्षित अन्य क्षमताविकास कार्यक्रम; तथा

   ग. परस्पर सहमति से तय किए गए अन्य सहयोग के क्षेत्र।

2. सहयोग के रूप निम्नलिखित होंगे:

   क. SAI मॉरीशस द्वारा अनुरोधित विषय पर आवश्यकता के आधार पर भारत या मॉरीशस में प्रशिक्षण आयोजित करना;

   ख. अंतरराष्ट्रीय स्तर की चयनित संगोष्ठियों, सेमिनारों, इंटर्नशिप और अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों में एक-दूसरे के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना;

   ग. संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के लिए यात्राओं या कार्यक्रमों का आदान-प्रदान: और

   घ. सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।

अनुच्छेद III

वित्तीय व्यवस्था

यह समझौता ज्ञापन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी वित्तीय दायित्व को उत्पन्न नहीं करेगा। प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन से संबंधित अपनी लागत और

व्यय स्वयं वहन करेगा । हालाँकि, पक्षकार विशेष सहयोग क्षेत्रों के लिए विशिष्ट वित्तीय व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त कर सकते हैं ।

अनुच्छेद IV

वैधता

यह समझौता ज्ञापन छ: (06) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और इसे स्वचालित रूप से छ: (06) वर्षों की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत कर दिया जाएगा, जब तक कि पक्षों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में लिखित रूप में सूचित नहीं करता है ।

अनुच्छेद V

समापन

इस समझौता ज्ञापन को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है । इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किसी विशिष्ट गतिविधि या परियोजना की वैधता पर समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद VI

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को पक्षोंकारों की आपसी लिखित सहमति से संशोधित किया जा सकेगा और यह इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग होगा ।

अनुच्छेद VII

विवाद निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान दोनों पक्षों के बीच आपसी एवं मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से तथा आपसी समझ एवं सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा।

अनुच्छेद VIII

गोपनीयता

प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित पक्ष से प्राप्त या उसे प्रदान किए गए दस्तावेजों, सूचनाओं और अन्य आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस अनुच्छेद के प्रावधान इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद भी दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी बने रहेंगे।

अनुच्छेद IX

प्रारंभ

यह समझौता ज्ञापन पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर के दिनांक से प्रवृत होगा।

उपर्युक्त बातें इस समझौता ज्ञापन में संदर्भित मामले पर पक्षों के बीच बनी सहमति को दर्शाती हैं तथा इससे पक्षों पर वैधानिक रूप से कोई बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् अधिकृत होकर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दो मूल प्रतियों में शर्म-अल-शेख, मिस्र (स्थान) में 30-10-2025 (तारीख) को हस्ताक्षरित हिन्दी व अँग्रेजी, दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रमाणित माने जाएँगे। व्याख्या में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

श्री के. संजय मूर्ति
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत

डॉ. धर्मराज पालीगाडु
महालेखापरीक्षक
मॉरीशस